www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 4 सितंबर 2019

दैनिक जागरण

लक्ष्मी अपने वरदान लगनशील व्यक्ति पर बरसाती हैं

फैसलों पर अमल भी हो

मंदी की दस्तक के बीच मोदी सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो तमाम घोषणाएं हो रही हैं उनसे यह तो दिख रहा है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए कमर कस ली गई है, लेकिन ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कारोबार जगत को कोई राहत पैकेज मिलने नहीं जा रहा है। बेहतर हो कि इसे स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया जाए कि कोई राहत पैकेज प्रस्तावित नहीं है ताकि कारोबार जगत इस उम्मीद में न रहे कि उसे सरकार से कोई अतिरिक्त मदद मिलने जा रही है। इसी के साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि वित्त मंत्रालय की ओर से जो घोषणाएं की जा रही हैं उन पर वास्तव में अमल हो और यथाशीघ्र हो। यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि नौकरशाही अपने ही ढर्रे पर चलती है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सरकार जो भी कदम उठाए उन्हें नौकरशाही प्राथमिकता के आधार पर लागू करे। यह सुनिश्चित करके ही हालात को बदलने में कामयाबी मिलेगी। निःसंदेह यह पहल अच्छी है कि सरकार जल्द ही एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का रिफंड एक साथ एक ही अधिकारी जारी कर सकेगा, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होता कि इस तरह की व्यवस्था पहले ही कर दी जाती? आखिर सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि जीएसटी रिफंड समय पर न मिलने से तमाम कारोबारियों और खासकर निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार की ओर से एक अर्से से यह कहा जा रहा है कि जीएसटी रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि देरी का सिलसिला कायम है। एक अनुमान के अनुसार निर्यातकों के लगभग दस हजार करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड के दावे लंबित पड़े हैं। जाहिर है कि यह नौकरशाही की सुस्ती का नतीजा है। कम से कम मौजूदा माहौल में तो नौकरशाही को इसके प्रति सजग दिखना ही चाहिए कि मंदी के बादल जल्द से जल्द छंटें। निःसंदेह यह भी समय की मांग है कि मंदी से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी सक्रियता का परिचय दें। इस धारणा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए कि मंदी से निपटना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। क्या यह आवश्यक नहीं कि जिस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उद्योगपतियों से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश कर रही हैं उसी तरह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उद्योग जगत की मुश्किलों को हल करने के लिए आगे आएं। यह काम उन प्रांतों को तो अवश्य ही करना चाहिए जिनकी गिनती औद्योगिक राज्यों के तौर पर होती है।

नैतिकता का सवाल

उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय का रिकॉर्ड बता रहा है कि यहां विधायक अपनी संपत्ति सार्वजनकि करने से कन्नी काट रहे हैं। प्रत्येक राज्य में विधायकों को विधानसभा सचिवालय को अपनी संपत्ति का विवरण देना होता है। उसके बाद इसे बाकायदा अधिसूचित किया जाता है। इस मामले में उत्तराखंड की स्थिति अच्छी नहीं है। नई विधानसभा चुने ढाई साल का वक्त गुजर गया, पर अब तक लगभग दो तिहाई विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया। प्रदेश में एक मनोनीत समेत 71 विधायक हैं, इनमें से 25 की संपत्ति का ब्योरा विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध हुआ है। 46 विधायकों ने अपनी संपत्ति का राज नहीं खोला है। इनमें मंत्रिमंडल के चार सदस्य भी शामिल हैं। कांग्रेस के 11 सदस्यों में से एक ने भी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया, जबकि सत्ताधारी दल के ऐसे विधायकों की संख्या 33 है। यह सब उस दौर में हो रहा है, जब देशभर में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कामकाज में पारदर्शिता को खासी तवज्जो दी जा रही है। प्रधानमंत्री खुद लगातार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते आ रहे हैं। इसकी गूंज उत्तराखंड में भी सुनाई पड़ रही है। यहां मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कामकाज में पारदर्शिता के दावों को दोहराने का कोई अवसर नहीं चूकते। मगर माननीय शायद इसे अपने व्यवहार में शामिल नहीं करना नहीं चाहते या फिर इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। संपत्ति दाखिल करने के प्रति उनकी उदासीनता को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। यह ठीक है कि विधायकों के लिए अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का प्रावधान बाध्यकारी नहीं, बल्कि स्वैच्छिक है, लेकिन इस सबके बीच अहम सवाल खड़ा है कि आखिर माननीय ऐसा करने से कतराते क्यों हैं। नैतिकता क्या कहती है, इस पर क्यों नहीं विचार करते। विधायकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह जनता से नुमाइंदे हैं और जनता ने ही उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है। उनके बारे में सभी जानकारी जानने का जनता को पूरा हक है, अगर उनका आचार-व्यवहार ठीक नहीं होगा तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, इसकी चिंता विधायकों को करनी चाहिए। विधायक क्यों अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से परहेज कर रहे हैं, यह तो वही जानें, लेकिन उनके इस रवैये को अच्छा नहीं कहा जा सकता। उन्हें तो जनता के सामने पारदर्शिता का उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि वह भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हों। उम्मीद है विधायकगण इस पर गंभीरता से सोचेंगे।

पाकिस्तानी दुष्प्रचार की काट करे भारत

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

नई दिल्ली को पाकिस्तानी जनता तक यह बात पहुंचानी चाहिए कि कैसे अंध भारत विरोधी रुख के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों मोर्चों को मोदी सरकार ने भलीभांति साधने का काम किया है। किसी भी अप्रिय घटना को टालने या उससे निपटने में सुरक्षा बलों ने भी सराहनीय काम किया है। इक्का-दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो कश्मीर घाटी में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। चीन और तुर्की जैसे कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो भारत को इस मसले पर लगभग सभी देशों का समर्थन हासिल हुआ है। वैश्विक समुदाय ने यह स्वीकार किया है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। उसने जम्मू-कश्मीर को भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा माना। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी मानती है कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या किसी तीसरे पक्ष की भूमिका के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तानी अवाम हताश है। मीडिया और जनता प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साध रही है। जिस सेना की शह पर इमरान खान प्रधानमंत्री बने उसे भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। पाकिस्तानी भयभीत और अचंभित हैं, क्योंकि जब इमरान खान मुस्लिम देशों से समर्थन की अपील कर रहे थे तो उसी दौरान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे इस्लामिक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहे थे। इसी कड़ी में 26 अगस्त को इमरान खान का भाषण उनकी हताशा और बेचैनी को ही बयान कर गया। पाकिस्तान का समर्थन न करने पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी और विशेषकर इस्लामिक देशों पर अपनी खीझ उतारी। उन्हें सबसे बड़ा झटका अमेरिका से लगा जब जी-7 बैठक से इतर मोदी के साथ बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय स्तर पर करना चाहिए। ट्रंप के साथ उनकी सहजता और गर्मजोशी से पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान जल-भुन गया।

अपने 26 अगस्त के भाषण में इमरान ने पाकिस्तानियों का आह्वान किया कि वे कश्मीर के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं। उन्होंने अपनी सरकार की कूटनीतिक क्षमता और पाकिस्तानी सेना की ताकत से जुड़े असहज सवालों को टालने की कोशिश की और कश्मीर की जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। इस दौरान उन्होंने खुद को कश्मीर के स्वयंभू दूत के तौर पर पेश किया और दुनिया की महाशक्तियों के साथ ही मुस्लिम देशों को जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ने के अंजाम को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने अपने उस नए दुष्प्रचार को भी आगे बढ़ाया जिसके तहत भारत को एक हिंदू देश तौर पर पेश किया जा रहा है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करना भारत द्वारा सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को तिलांजलि देना है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के लिए भारत केवल हिंदुओं का है जहां अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी आरोप लगाए कि वह भारत को केवल हिंदुओं का देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभाजन को लेकर मुहम्मद अली जिन्ना की मंशा को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ते हुए हुए पाकिस्तानियों को चेताया कि संघ की विचारधारा नाजी फासीवाद से प्रेरित है जिसने गांधी जी की हत्या की थी। कुल मिलाकर अपने भाषण में इमरान ने नई दिल्ली के खिलाफ पाकिस्तान के विषवमन के नए एजेंडे का खाका ही पेश किया। उनके अनुसार भारत ने अपनी विचारधारा बदल ली है और लगातार आक्रामक होता भारत क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है।

इमरान खान के प्रलाप को देखते हुए भारत को घाटी में जल्द से जल्द हालात सामान्य बनाने के अतिरिक्त पाकिस्तान के दुष्प्रचार को भी प्रभावहीन करने के लिए कूटनीतिक काट तलाशनी होगी। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि इस्लामाबाद मुस्लिम देशों और पश्चिमी मीडिया को अपनी मुहिम में शामिल करने की योजना बना रहा है। इन दिनों पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित करने का नाटक कर आतंकवाद की पनाहगाह देश की अपनी छवि को तोड़ने की भी असफल कोशिश कर रहा है। वह भारत को अपने यहां गड़बड़ी फैलाने वाले देश के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर में थोड़ी-सी भी अशांति और देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा की खबर पाक के दुष्प्रचार को और बल प्रदान करेगी और वह इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को खतरनाक विचारधारा का पोषक एवं फासीवादी देश साबित करने में करेगा। इस्लामाबाद को उम्मीद है कि इससे उसकी आतंकी गतिविधियों से दुनिया का ध्यान बंट जाएगा।

अवधेश राजपूत

जम्मू-कश्मीर के संबंध में मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने इस्लामाबाद के साथ-साथ रावलपिंडी (यहां पाकिस्तान का सैन्य मुख्यालय है) को महत्वहीन कर दिया है। वे भारत के खिलाफ अंधराष्ट्रीयता का परिचय देकर, परमाणु हमले की धमकी देकर और हताश भरे कूटनीतिक कदमों के जरिये फिर से अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा और उसके आधार पर भारत को अपराधी साबित कर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करेगा। इसके लिए वह घाटी से कर्फ्यू हटाए जाने का इंतजार कर रहा है। कश्मीर का दूत बनने की इमरान खान की घोषणा कश्मीर को अशांति की आग में झोंकने की ही एक नापाक कोशिश है।

इमरान खान के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना के सामने भी अपना वजूद साबित करने की चुनौती है। वह पाकिस्तानी जनता को दिखाना चाहती है कि वह सक्रिय है और भारत को जवाब देने के लिए कुछ कर रही है। प्रत्येक शुक्रवार को कश्मीरियों के साथ खड़े होने का तमाशा इसी कवायद का हिस्सा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ये सारे कदम पाकिस्तानी जनता के दिमाग में एक ही बात भरेंगे कि भारत हमारा शाश्वत दुश्मन है। ऐसी स्थिति में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अति सक्रिय कूटनीति का परिचय देना चाहिए। नई दिल्ली को पाकिस्तानी जनता तक यह बात पहुंचानी चाहिए कि कैसे अंध भारत विरोधी रुख के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली में ढकेल दिया है। पाकिस्तान आज भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। यदि 1965 और 1971 की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी भारत से युद्ध की हिमाकत करेंगे तो इससे अपनी मुसीबत ही बढ़ाएंगे।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

बड़ा खतरा बनता धर्मांतरण

तरुण विजय

देश में जनजातीय समाज तो आठ प्रतिशत है, पर आखिर 90 प्रतिशत उग्रवाद, विद्रोह इन्हीं क्षेत्रों में क्यों हैं?

चंद दिनों पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जबरन, बहकाकर या फिर शादी करके धर्मांतरण कराने के खिलाफ एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक का कई विपक्षी नेताओं ने भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार धर्मांतरण विरोधी नया कानून इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि राज्य के कुछ हिस्सों और खासकर रामपुर एवं किन्नौर में जबरन धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इस तरह के मामले देश के अन्य हिस्सों में भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो धर्मांतरण की गति काफी तेज है। ऐसे राज्यों में ओडिशा की गिनती खास तौर पर होती है। ओडिशा के गांवों में भूख, गरीबी, बदहाली के कारण त्रस्त जनजातियों का बड़ी संख्या में धर्मांतरण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। जहां ईसाई पादरी विदेशी धन का इस्तेमाल कर अपना खूब विस्तार करते हैं वहीं हिंदू जागरण में लगे संतों को धन एवं कार्यकर्ताओं की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर राजनीति में सक्रिय लोग हिंदू धर्म के निमित्त साथ देने से कतराते हैं और ईसाई मतों को प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण में लिप्त प्रभावशाली चर्च से राजनीतिक मित्रता लाभप्रद मानते हैं। इसी ओडिशा में करीब दस वर्ष पहले जन्माष्टमी के दिन संत स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या इसलिए कर दी गई थी, क्योंकि वे जनजातियों और अनुसूचित जातियों के धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे।

हिंदुओं और खासकर जनजातियों का धर्मांतरण वस्तुतः जिहादी हमलों से बड़ा षड्यंत्र है। धर्मांतरण में लगे ईसाई प्रचारक आक्रामकता के साथ हिंदू देवी-देवताओं, धार्मिक परंपराओं और पूजा-पद्धतियों का अपमान करते हैं। वे भारत की सदियों पुरानी सभ्यता-धारा को भुलाने पर नव-धर्मांतरितों को विवश करते हैं और उन्हें अपने ही पूर्वजों के विरुद्ध विष-वमन के लिए तैयार करते हैं। हिंदुओं पर सलीबी आक्रमण इतना बढ़ा है कि गत दिनों तिरुपति बाला जी के मंदिर की आय से विदेश यात्रा की तैयारी की गई। विश्वविख्यात तिरुपति मंदिर व्यवस्था का भार ईसाई नेता जगनमोहन रेड्डी के हाथों में है, जिन्होंने हाल में एक समारोह में दीप प्रज्ज्वलन से मना कर दिया था। कांची में अति वरदराज (औदुंबर काष्ठ से निर्मित विष्णु प्रतिमा) जिनके प्रति 40 वर्ष बाद दर्शन होते हैं, के लिए एक करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आगमन होता है। इसे देखते हुए वहीं के एक ईसाई चर्च ने अति वरदराज की तरह से अति जीसस की प्रतिमा लगाकर लोगों को आकृष्ट करना प्रारंभ किया। इसके साथ-साथ तमिलनाडु

में हिंदू प्रतीक चिन्हों को चर्च में स्थापित कर हिंदू लोगों को भ्रमित करने के प्रयास चल रहे हैं जैसे मंदिर ध्वज स्तंभ की प्रतिकृति चर्च प्रांगण में लाना, मदर मेरी की गोद में बाल जीसस को कृष्ण-यशोदा की तरह दिखाना, कुरुक्षेत्र रण में रथ पर जीसस को कृष्ण की तरह सवार दिखाना।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईसाई धर्मांतरण प्रक्रिया को हिंदुओं के खिलाफ क्रूर हिंसा बताया था। ईसाई प्रचारक हिंदू देवी-देवताओं राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा के विरुद्ध अपशब्द और अत्यंत घृणास्पद बातों का प्रसार कर नव-धर्मांतरण का अभियान चलाते हैं। हाल में अरुणाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ सत्तासीन नेता ने मुझे बताया कि वहां कभी पांच प्रतिशत ईसाई भी नहीं थे। आज अस्सी प्रतिशत के लगभग ईसाई हो गए हैं। जो जनजातीय युवा ईसाई बन जाते हैं, वे अपने माता-पिता और उनकी परंपराओं की खिल्ली उड़ाते हैं। अरुणाचल यदि अपनी मूल पहचान खो दे, गांवों के त्योहार, भाषा-भूषा पर रोमन रंग चढ़ जाए तो क्या इससे बढ़कर एक समाज और जाति पर कोई दूसरा बदरंग हमला हो सकता है?

ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर पूर्वांचल के आठ राज्य, उत्तराखंड के कई क्षेत्र, तमिलनाडु और आंध्र ईसाई धर्मांतरण के मुख्य केंद्र बने हैं। यहां हर पिन कोड पर चर्च तथा धर्मांतरण केंद्र खुल गए हैं। इन राज्यों में भी धर्मांतरण विरोधी कानून आवश्यक हैं। हर चुनाव के समय ईसाई चर्चों पर हमलों की झूठी खबरें, चर्च के आर्च बिशपों द्वारा खुलेआम बयान देकर हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले दलों को हराने की अपीलें, 2019 के चुनावों में ईसाई बिशपों द्वारा मोदी को हराने के लिए खुलकर सक्रिय होना, ईसाई देशों द्वारा भारत में राष्ट्रीयतावादी सरकार के विरुद्ध किसी न किसी काल्पनिक भय का निर्माण करना चर्च की दीर्घकालिक योजनाओं के कुछ सार्वजनिक उदाहरण हैं। रूसी सहायता से बन रहे परमाणु ऊर्जा निर्माण केंद्रों के विरुद्ध पर्यावरण की रक्षा के नाम पर जितने भी आंदोलन हुए उनके पीछे ईसाई एनजीओ सक्रिय थे। यह स्वयं कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में मंत्री नारायण सामी (वर्तमान में वे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री) ने स्वीकार किया था।

कुबेर समान संपदा वाले अनेक संत-महात्माओं के पांच सितारा आश्रम हिंदू रक्षा, धर्मांतरण के विरुद्ध मोर्चाबंदी और धर्म पर आघातों के प्रति उदासीन दिखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री परिवार आदि संगठन जाति-भेद का विरोध करते हुए हिंदू गौरव और धर्मरक्षण की बात ही नहीं करते, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को हिंदू आस्था दृढ़ करने के प्रयासों में जुटाते हैं। ईसाई विद्यालयों, संगठनों को संबल और दान हिंदू उद्योगपतियों, नेताओं और राजनेताओं से ही मिलता है। हिंदू समाज को भीतर से खोखला कर स्वामी लक्ष्मणानंद जी जैसे संतों के काम से डरकर उन्हें मार डालना भारत को अभारत बनाने के षड्यंत्र का भाग है। यह धर्म को क्षत-विक्षत कर उसके अनुयायी कम करने का ऐसा षड्यंत्र है जो देश की जड़ों पर अभूतपूर्व हमला है। देश में जनजातीय समाज आठ प्रतिशत है, लेकिन 90 प्रतिशत उग्रवाद, विद्रोह, सामाजिक असंतोष इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों में क्यों हैं? सवाल यह भी है कि हर विद्रोही संगठन, नक्सली हिंसा को ईसाई एनजीओ-चर्च का समर्थन क्यों मिलता है? क्यों उत्तर-पूर्वांचल के जनजातियों की बोलियों की लिपियों को रोमन में करने को चर्च तत्पर रहता है और देवनागरी अपनाना उसे हिंदुकरण लगता है? क्यों चर्च नियंत्रण के विद्यालयों में शिवाजी, रानी गाइदिन्ल्यू, सुभाषचंद्र बोस के चित्र नहीं लगते और मेहंदी, बिंदी, राखी पर पाबंदी रहती है? यह विडंबना ही है कि तमाम हिंदू इन हमलों से उदासीन सड़क, पानी, बिजली को राष्ट्रीयता मान बैठे हैं।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

महत्वाकांक्षा

मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। उसमें यह अभिलाषा होती है कि किसी भी क्षेत्र में उसका नाम हो। वह पद, पैसा और कार्य आदि के आधार पर प्रतिष्ठित हो। नाम एवं प्रतिष्ठा की यह अभिलाषा ही व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को जन्म देती है। सरल शब्दों में कहें तो अपनी महत्ता को स्थापित करने की आकांक्षा ही महत्वाकांक्षा है। यह महत्वाकांक्षा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। राजनीति, उद्योग, खेल, अभिनय, व्यापार, चिकित्सा-विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला और साहित्य आदि सैकड़ों क्षेत्र इसकी पूर्ति के माध्यम हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा छोटी हो या बड़ी, किंतु प्रत्येक मानव में इसका अस्तित्व होता है। जो जितना बुद्धिमानी एवं सक्षम होता है, उसमें उतनी ही अधिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, किंतु देश एवं विश्व में कुछ ऐसे भी मानव हैं, जिनकी आकांक्षा मात्र दो वक्त के भोजन को प्राप्त करने तक सीमित है। वे महत्व जैसे शब्द से कोई विशेष लगाव नहीं रखते हैं। अपनी अल्पतम आवश्यकताओं की पूर्ति में ही वे प्रायः संतुष्ट रहते हैं।

व्यक्ति में यदि उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ने की आकांक्षा न हो तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस व्यक्ति का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अतः आगे बढ़ने के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय किए जाते हैं एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। जिसकी महत्वाकांक्षा जितनी सुदृढ़ होती है वह उसके लिए उतना ही प्रयत्न भी करता है। यदि प्रयत्न उस महत्वाकांक्षा की सफलता के अनुरूप हो एवं अन्य घटक भी सहायक हों तो सफलता भी मिलती है। महत्वाकांक्षा मानव को जहां प्रगतिपथ की ओर उन्मुख करती है, वहीं उसमें अभिमान, लोभ आदि दोषों के पोषण की भी प्रबल संभावना रहती है। अतः हमें सुखी एवं तनावरहित जीवन के लिए महत्वाकांक्षा की सीमा रेखा तय करनी चाहिए। जो इनकी सीमा रेखा तय कर लेता है वह आनंद का अनुभव करता है तथा जो इनकी निरंतर वृद्धि करता है वह एक दिन अवश्य निराश एवं परास्त होकर दम तोड़ देता है।

देवेंद्रराज सुथार

रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की चुनौती

अमृत कुमार

प्रत्येक दस में से लगभग सात भारतीयों को सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ती है

हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, जहां भ्रष्टाचार के असुर ने अपने पंजे न गड़ाए हों। देश की सबसे छोटी इकाई पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर के कार्यालयों में बिना घूस के आज सरकारी फाइल आगे ही नहीं सरकती। देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रचलित रूप रिश्वतखोरी है। यहां आए दिन अखबारों में रिश्वतखोरी के कारनामे उजागर होते रहते हैं। आज हरेक क्षेत्र रिश्वतखोरी के रंग में रंग चुका है। लोगों में रिश्वत देकर काम निकलवाने की कुप्रवृत्ति घर करती जा रही है। जनमानस में यह धारणा बैठ गई है कि रिश्वत देने से हर कठिन काम सरल हो जाता है। इसलिए आज हर मौके पर और हर काम के लिए रिश्वत दी और ली जा रही है। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेने का सिलसिला बहुत पुराना है।

भारत पूरे एशिया में रिश्वतखोरी के मामले में सबसे अव्वल है। दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली बर्लिन स्थित संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक एशिया में एक चौथाई लोगों को पिछले साल सरकारी सेवा लेने के लिए घूस देनी पड़ी। संस्था की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक एशिया प्रशांत के सोलह देशों में बीस हजार लोगों से बातचीत की गई। इस सर्वे से आए नतीजों के अनुसार नब्बे करोड़ लोगों को पिछले साल कम से कम एक बार सरकारी अधिकारियों की जेब गरम करनी पड़ी। भारत में प्रत्येक दस में से करीब सात भारतीयों को सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए किसी न किसी रूप में घूस देनी पड़ती है। रिश्वतखोरी के मामले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार रिश्वत की दर भारत और वियतनाम में सबसे अधिक थी, जहां दो तिहाई लोगों का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सेवाओं के लिए भी उन्हें सरकारी कर्मचारियों को खुश करना पड़ा। इस सर्वे में जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में घूसखोरी के सबसे कम मामले बताए गए। जहां तक रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारियों का सवाल है तो सर्वे के अनुसार घूस मांगने के मामले में पुलिस महकमा सबसे ऊपर है। पिछले साल पुलिस के संपर्क में आने वाले करीब एक तिहाई लोगों ने माना कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी है। साथ ही संस्था का कहना है कि रिश्वतखोरी से सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित होते हैं। सर्वे में शामिल गरीब तबके के 38 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। यह तादाद किसी भी आयवर्ग में सबसे ज्यादा थी।

अतः जरूरी है रिश्वतखोरी रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि रिश्वत देकर परेशानियां खड़ी करने वाले भी हम ही हैं और बाद में सरकार को कोसने वाले भी हम ही हैं। अगर भ्रष्टाचार से निजात पानी है तो हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी, रिश्वत न देने का संकल्प लेना होगा। फिर मतदाता के तौर पर भी हम भ्रष्टचार से लड़ने में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही सरकारों को भी अपने भ्रष्टाचार विरोधी वादों को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

एनआरसी पर निराश क्यों

पंकज चतुर्वेदी का आलेख 'बेनतीजा दिखती एनआरसी की कवायद' अति निराशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। लेखक की जानकारी में संभवतः यह तथ्य नहीं है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह चुकी हैं कि जिन लोगों के विरुद्ध भारतीय न्यायपालिका का देश-निकाला का आदेश होगा, उन्हें वे स्वीकार कर लेंगी। इसीलिए एनआरसी प्रकाशित होने के मात्र तीन दिन में सरकार ने विदेशी न्यायाधिकरणों की संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी है। यानी मोदी सरकार न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के लिए कृत-संकल्प दिख रही है। बहुत से लोग तो ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद आगे अपील भी नहीं करेंगे तो उन मामलों में ट्रिब्यूनल का आदेश ही अंतिम न्यायिक फैसला होगा और उसे मानने के लिए हसीना सरकार वचन दे चुकी है। बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों के नाम राष्ट्रीय रजिस्टर से बाहर रह जाने को लेकर व्यक्त चिंता भी लगभग गैर-जरूरी है। भारत सरकार संसद के भीतर घोषणा कर चुकी है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी तथा ईसाई शरणार्थियों को भारत से निकाला नहीं जाएगा, वरन उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन लोकसभा से करा भी लिया गया है, केवल राज्यसभा में वह लंबित है। ध्यान रखिए कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन की धारा 33(1) के अनुसार कोई भी राष्ट्र शरणार्थियों को अपने यहां से निकाल नहीं सकता। शरणार्थी की संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार एक शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपने देश का संरक्षण छोड़ कर दूसरे देश का संरक्षण ग्रहण करने के लिए विवश है, क्योंकि उसे अपने विश्वास, पंथ, धर्म के कारण शरीर, संपत्ति एवं सम्मान को वास्तविक खतरा पैदा हो गया है। जबकि घुसपैठिया वह व्यक्ति है जो बेहतर जीवन अवसरों की तलाश में बिना दस्तावेज दूसरे देश में प्रवेश करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर बांग्ला, पाकी या अफगानी मुस्लिम भारत में घुसपैठिए हैं, जो निकाले जाने योग्य हैं, जबकि हिंदू आदि शरणार्थी हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सकता, अपनाना ही पड़ेगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी 2005 में कह चुका है।

अजय मित्तल, मेरठ

भारी जुर्माने से नहीं होगा सुधार

केंद्र सरकार ने नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया है। अब वाहन चलाते समय थोड़ी भी लापरवाही हुई तो मोटा जुर्माना भरना होगा। सरकार सामान्य नागरिक को डंडे के दम पर अनुशासित करना चाहती है यहां तक तो ठीक है। लेकिन जिस समय देश जबरदस्त मंदी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है ऐसे समय में नागरिकों पर इतना मोटा जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। आजकल कंपनियां स्टाफ कम कर रही हैं। लोग नौकरियों से बाहर किए जा रहे हैं। तो जब आम आदमी जीवन चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो वो बच्चों की रोटी जुटाएगा या पुलिस की जेब भरेगा। क्योंकि सरकार ने पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जाहिर है 1000 रुपये के चालान का डर दिखाकर जो सिपाही 200 रुपये में मान जाता था। वही अब 10000 रुपये के चालान के बदले में 2000 रुपये वसूलेगा। सरकार के इस कदम से आम आदमी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहां नियमों का विरोध नहीं किया जा रहा है। नियम होने चाहिए सभी को पालन भी करना चाहिए लेकिन क्या सिर्फ मोटे जुर्माने से ही नियम लागू कराए जा सकते हैं? क्या हमारा पुलिस का सिस्टम इतना मजबूत है कि चालान पूरी साफगोई के साथ किए जाएंगे?

बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद

एनआरसी पर सवाल

देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) पर फिर सवाल उठ रहे हैं। इतने बड़े और जरूरी काम में इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? यह एक चिंता का विषय है। इसको तो सीधे पैसे व समय की बर्बादी ही कहेंगे। जो संस्था एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई उसको तक आंकड़ों में फेरबदल की शिकायत है। वहीं वहां के क्षेत्रीय संगठन भी इसके विरोध में बोल रहे हैं। भाजपा एवं कांग्रेस भी इससे अछूते नहीं रहे। हमें इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए ताकि एनआरसी में फिर सुधार किए जाएं एवं असल नागरिक को उसका अधिकार दिया जाए।

आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज (डीयू)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।